

प्रेस नोट दिनांक 16.02.2020

1. दिनांक 15.01.20 को वादी श्री ध्रुव सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह नि0 7/15/268 डी परिक्रमा मार्ग गिरजाकुण्ड थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरवीर सिंह नि0 पैठी खेड़ा घिघरौली थाना खण्डौली आगरा अभि0 द्वारा वादी व परिजन को जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में को0नगर थाना में मु0अ0सं0 679/20 धारा 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.01.20 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 अरसद पुत्र मो0 नसीम नि0 बुचनीगंज सहादतगंज थाना कैण्ट अयोध्या आदि 02 नफरअभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना मौके से मालफड़ व जामा तालाशी के 980 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 483/20 धारा 13 जुआ अधि0 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.01.20 को वादी का0 राजेश यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार मोदनवाल पुत्र प्रेमकुमार नि0 सेवागंज थाना इब्राहिमपुर अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 453/20 धारा 60 आबकारी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.01.20 को वादी का0 शैलेन्द्र यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जितेन्द्र कुमार पुत्र मुरलीधर नि0 रजपलिया थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 454/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.01.20 को वादी श्री राम कल्प पुत्र राम किशोर नि0 देवसिया पारा थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुग्रीव पुत्र राममूरत नि0 देवसिया पारा थाना को0बीकापुर अयोध्या अभि0 द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 725/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.01.20 को वादी श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला थानाध्यक्ष तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.प्रदीप वर्मा पुत्र सीताराम वर्मा नि0 नरियावां थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 2.रामनायक पुत्र जयराम वर्मा नि0 नारायणपुर थाना तारून अयोध्या गिर0 3.सुशील वर्मा पता अज्ञात अभि0गण द्वारा अवैध देशी शराब की फैक्ट्री चलाना, मौके से 50 लीटर स्प्रिट, सरकारी देशी शराब की 200 एमएल की 87 पुरानी शीशी, आरेन्ज नाम से देशी शराब के 609 रैपर, 558 नये ढक्कन, 3291 होलो ग्राम, 20 लीटर सफद तरल पदार्थ, 2 प्लास्टिक की पाइप, 02 सूजा, 02 पुराने टूथ ब्रस, 01 सिलो टेप, 10 लीटर कच्ची शराब व पल्सर मो0सा0 बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 413/20 धारा 272, 420, 467, 468, 471 भादवि व 60 आबकारी अधि0 व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 15.01.20 को वादी श्री सलाउद्दीन पुत्र हसीम नि0 दशरथमऊ थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 साजिद पुत्र तौहीद नि0 खजुरी थाना टिकैतनगर बाराबंकी आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादी के मोबाइल पर मो0नं0 7518498644 से जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 415/20 धारा 507 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।